

—एक सौ तेईस—

संख्या:- 1363/11-5-2010-218 (13)/2010

प्रेषक,

मधु माथुर,  
उप सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर सचिव,  
राजस्व परिषद,  
उ०प्र० इलाहाबाद।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 लखनऊ :  
दिनांक: 13 अप्रैल, 2010

विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान सं०-91 के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि को आपके निवर्तन पर रखा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-बी०-1-951/दस-2010-231/2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए संस्थागत वित्त विभाग स्टाम्प एवं पंजीकरण के अनुदान सं०-91 के अन्तर्गत राजस्व लेखा-2030-(01-स्टाम्प न्यायिक एवं 02-स्टाम्प न्यायिकेतर)(मतभेद) मद में रू० 55,75,55,000.00 (रूपये पचपन करोड़ पचहत्तर लाख पचपन हजार मात्र) तथा भारित मद में रू० 2000.00 (रूपये दो हजार मात्र) की धनराशि, जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट में विस्तृत रूप से दिया जा रहा है, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उपरोक्तानुसार धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के संबन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का अवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकरण नहीं देता है जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाय।

(2) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं०-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 6 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में जारी शासनादेश सं०-सी०ए० 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 07.01.2005 का विशेष रूप से पालन किया जाय।

(4) व्यय को प्राधिकृत विनियोग की सीमा के भीतर रखे जाने के संबंध में बजट मैनुअल में दिये गये निर्देशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.03.2010 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही तत्काल धनराशि अधीनस्थ कार्यालयों के निवर्तन पर रख कर जारी स्वीकृतियों की एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीया,  
ह०अस्पष्ट  
मधु माथुर  
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
4. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. गार्डफाइल।

आज्ञा से,  
ह०अस्पष्ट  
(मधु माथुर)  
उप सचिव।

धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक राजस्व लेखा, 2030-स्टाम्प पंजीकरण-आयोजनेत्तर, 03-पंजीकरण, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 04-जिला व्यय	निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का विवरण
01- वेतन	223220
02-मजदूरी	8500
03-मंहगाई भत्ता	73663
04- यात्रा व्यय	480
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	400
06- अन्य भत्ते	17100
07- मानदेय	50
08- कार्यालय व्यय	12500
09- विद्युत देय	2500
10-जलकर/जल भराव	300
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1500
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3942
13-टेलीफोन पर व्यय	7000
16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	-
17- किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	300
26- मशीनें और <a href="#">सज्जा/उपकरण</a> और संयंत्र	1
42- अन्य व्यय (मतदेय)	1
42- अन्य व्यय (भारित)	500
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं	200

प्रासंगि व्यय	
45- अवकाश यात्रा व्यय	500
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2500
47- कम्प्यूटर <u>अनुरक्षण/तत्संबंधी</u> स्टेशनरी का क्रय	2500
49- चिकित्सा व्यय	1486
50- मंहगाई वेतन	-
51- वर्दी व्यय	1000
योग मतदेय	362642
योग भारित	1
योग (मुख्यालय+जिला व्यय) मतदेय (रूपये सैतालीस करोड़ चौब्वन लाख पन्चानवे हजार मात्र)	475495
भारित (रूपये दो हजार मात्र)	
800 - अन्य व्यय	
03- अवशेषों का भुगतान	40000
01- वेतन	
योग-	40000(रूपये चार करोड़ मात्र)

2059- लोक निर्माण कार्य	
01- कार्यालय भवन	
051- निर्माण	
03- अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव	5000
29- अनुरक्षण	
योग-	5000(रूपये पचास लाख मात्र)

अनुदान सं०-91

वित्तीय वर्ष- 2010-11

(धनराशि हजार रूपये में)

<u>लेखाशीर्षक</u>	<u>निर्वतन पर रखी जा रही</u>
राजस्व लेखा, 2030-स्टाम्प पंजीकरण-आयोजनेत्तर, 03-पंजीकरण, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-मुख्यालय	धनराशि का विवरण
01- वेतन	640196
02-मजदूरी	100
03-मंहगाई भत्ता	21152
04- यात्रा व्यय	960
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	300
06- अन्य भत्ते	5500
07- मानदेय	25
08- कार्यालय	4000

व्यय	
09- विद्युत देय	800
10-जलकर/जल भराव	100
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1200
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1600
13-टेलीफोन पर व्यय	2000
14- कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ करों/मोटरगाड़ियों का क्रय	1500
15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5000
16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1000
17- किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	200
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	100
23- गुप्त सेवा व्यय	50
26- मशीनें और <a href="#">सज्जा/उपकरण</a> और संयंत्र	50
42- अन्य व्यय (मतदेय)	10
42- अन्य व्यय (भारित)	1
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं प्रासंगिक व्यय	200
45- अवकाश यात्रा व्यय	100
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	750
47- कम्प्यूटर <a href="#">अनुरक्षण/तत्संबंधी</a> स्टेशनरी का क्रय	1360
49- चिकित्सा व्यय	500
50- मंहगाई वेतन	—
51- वर्दी व्यय	200
योग मतदेय	112853
योग भारित	1